(1) महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) दिल्ली संशोधन विधेयक, 1972 ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

नौवाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 3 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से जो 3 अप्रेल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देंगी ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पा रही हूँ । सामान्यता मैं प्रश्नों का सीधा एवं स्पष्ट उत्तर देने की आदी हूँ । किन्तु इस चर्चा में दिए गए एक दो भाषणों को सुनने के उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि वक्ता कुछ खिन्न हैं और मैं निराश लोगों के मर्म को आहत नहीं करना चाहती ।

डा० कर्णी सिंह भी हमारी नीतियों के विरूद्ध हैं और सदा से उसका विरोध करते आए हैं, किन्तु उनका भाषण एक संतुलित भाषण था ।

कुछ सदस्यों ने प्रजातंत्र के बारे में भी भला बुरा कहा है । जब तक चुनावों में उनकी जीत होती रही, तब तक प्रजातंत्र ठीक था और अब उन्हें इस प्रजातंत्रिक प्रणाली में कमियां प्रतीत होने लगी हैं । कुछ पुरानी आदतों को दूर करना निश्चय ही कठिन होता है ।

यह चर्चा कई दिनों तक चलती रही है और इसमें अनेक विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं । मैं सब विषयों को न लेकर केवल मुख्य-मुख्य प्रश्नों का उत्तर दूंगी ।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हम गरीबी हटाने के बजाय विरोधी पक्षों को हटा रहे हैं। मैं नहीं समझती कि इस प्रकार की टिप्पणियों से लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में कहां तक सहायता मिल सकेगी। ऐसा लगता है कि इन लोगों को जनता के निर्णय में विश्वास नहीं है। विरोधी दलों की चुनावों में जो करारी हार हुई है उसके लिए किसी भी प्रकार हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विरोधी पक्षों का यह कथन कि चुनाव एक धोखा था निराधार एवं हास्यास्पद है, मैं इस आरोप का पूर्ण खंडन करती हूँ। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि उनके आरोप निराधार है।

यह भी कहा गया हैं कि हमने चुनावों में बंगला देश के मामले का लाभ उठाया है परन्तु माननीय सदस्यों को पता हैं कि इस मामले से पहले भी चुनाव हुए थे। उस समय युद्ध की कोई बात नहीं थी। उन चुनावों के परिणाम भी हमें ज्ञात हैं।

पश्चिम बंगाल के सामान्य चुनावों में केवल बंगला देश के मामले से ही अन्तर नहीं आया। विरोधी दलों द्वारा जो हमारी बंगला देश सम्बन्धी नीती के विरूद्ध प्रचार किया गया, उसका भी इसमें कम हाथ नहीं है। मुझे इस सम्बन्ध में अनेक लोगों के पत्र प्राप्त हुए है। उन्होंने लिखा है कि वे मार्क्सवादी दल के इस व्यवहार पर अत्यधिक खिन्न है और चुनावों में यदि वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो इतना निश्चित है कि वे मार्क्सवादी दल का भी समर्थन नहीं करेंगे। जनता ने इस लिए हमारे पक्ष में मत दिया है क्योंकि वह जानती है कि यह स्थायी सरकार निश्चित तथा दृढ़ कार्यवाही करने में सक्षम है। मैं कई माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ यदि सरकार जनता की आशाओं के अनुकूल कार्य नहीं करेगी, तो वह अगले चुनावों में हमारा साथ नहीं देगी। अतः यह बात महत्वपूर्ण है, कि भारतीयों के लिये जो कुछ किया जाना है वह किया जाए।

यह कहा गया है कि समाजवाद शब्द को अब छोड़ दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम समाजवाद या गरीबी हटाओ जैसे अपने नारो को भूल गए हैं अथवा उन्हें समाप्त कर दिया है। इन नारों पर समयानुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना होना। हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। अपने सभी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं और निस्संदेह अब भी नारे लगा रहे हैं। हम इनके कार्यान्वयन में पूरी तरह लगे हुए हैं। अतः यह कहना गलत है कि केवल इस कारण कि एक विशेष अभिभाषण में एक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, तो हम अपने मूलभूत उद्देश्यों से दूर हो गए हैं।

जब हम गरीबी हटाओं के बारे में कहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि गरीबी और लोगों की आवश्यकताओं की धारणा परिवर्तनशील है। लोग पिछले पांच वर्ष की तुलना में अब अधीक मांग करने लगे हैं और गरीबी के प्रति धारणा भी बदलती रहती है, जितने से लोग कछ वर्ष पूर्व तक संतुष्ट हो सकते थे उससे अब वे संतुष्ट नहीं होंगे।

अधिकांश लोग गरीब हैं। अतः प्रगति पर विचार करते समय हमें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। हमें अति निर्धन लोगों की सहायता के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि इन लोगों को हमारे कार्यक्रमों से कम से कम लाभ पहुंचा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें

बिल्कुल ही कुछ लाभ नहीं हुआ । आधार भूत ढांचे बनना आवश्यक था और इसी कारण हम पिछले वर्षों में चिन्तित रहे । हम अब ऐसे चरण पर पहुंच चुके है, जहां से हम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते है ।

कुछ सदस्यों ने कीमतों के बारे में आवाज उठाई है । हमारे आर्थिक उद्देश्यों में सरकार मूल्यों में उचित रूप से स्थिरता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि कीमतों में वृद्धि हुई है । किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि यह वृद्धि समुचित सीमाओं के बीच हुई है । गत वर्ष जो हमने कोई कदम उठाए हैं, जैसे ऋण का विनियमन, कतिपय वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध, अत्यावश्यक कच्चे माल का सामयिक और चुनींदा आयात आदि, उनकी सफलता का भी यही एक कारण है । खाद्यान्न का पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने की जिस नीति का हम चौथी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ से पालन करते रहे हैं, उससे भी उचित लाभ प्राप्त हुए हैं । बाढ़ आने के बावजूद भी उत्तर भारत में इस समय हमारे पास खाद्यान्न का इतना भंडार है जितना की पहले कभी नहीं था, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रहे हैं और निस्सन्देह इससे जीवन निर्वाह व्यय को स्थिर रखने में अच्छा प्रभाव पड़ा है । लेकिन खरीदारों तथा उपभोक्ताओं के हितों के बीच समुचित संतुलन बनाये रखना भी जरूरी है, खाद्य उत्पादों के मूल्यों को कृत्रिम रूप से उंचा बनाये रखने से अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी दबाव पड़ेगा और वे भी महंगी होती रहेंगी तथा ऐसा करना दीर्घ-कालीन दृष्टि से किसानों के हितों के भी विपरीत होगा अतः हमें कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्यों पर विचार करते समय समूची मूल्य समस्या पर समेकित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

निर्मित वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय भी हमें लागत तथा उसमें कुछ और जोड़ कर मूल्य निर्धारित करने की नीति को त्याग देना चाहिए जिसके कारण अतित में योग्य निर्माताओं को सुविधा प्राप्त होती रही है और उन्हें अपनी प्रबन्ध व्यवस्था को ठीक करके लागत को कम करने के लिये बाध्य नहीं होना पड़ा हैं । अतः किसी वस्तु विशेष के मूल्य के सम्बन्ध में हम जो भी निर्णय लें वह समुची राष्ट्रीय व्यवस्था के हितों के लिये सहायक होना चाहिये न कि ऐसी कि उससे समाज के किसी एक वर्ग को ही लाभ पहुंचे ।

जिन सदस्यों ने रोजगार के अधिकाधिक अवसर जुटाने की नितान्त आवश्यकता पर जोर दिया है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ । यदि हमें अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली की व्यवहार्यता कायम रखनी है, तो अगले तीन चार वर्षों में इस मोर्चे पर प्रगति करना बहुत जरूरी है, जब तक रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा नहीं किये जाते उस समय तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती । अतः सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना ही हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य है । योजनाओं द्वारा रोजगार पैदा करने के लिए कई अनुपूरक कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं । यद्यपि उन सब कार्यक्रमों से अभी तो अधिक रोजगार के अवसर नहीं जुटा पाये हैं, किन्तु अब उन से रोजगार के अवसर पैदा होने आरम्भ हो गये हैं । और शीघ्र ही उनके परिणाम स्पष्ट हो जायेंगे । इस समस्या को हल करने में सरकार की निष्ठा बजट में स्पष्ट झलकती है । 1972–73 की वार्षिक योजना के लिए सरकारी क्षेत्र में विकास परिव्यय में सराहनीय वृद्धि की गई है और इससे गैर सरकारी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा । योजना में 125 करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है, उससे सरकार कई रोजगार प्रधान योजनाओं को क्रियान्वित

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

कर पायेगी और साथ जनता की कई बुनियादी आवश्यकतायें जैसे पीने के पानी की सप्लाई, आवास की व्यवस्था, सड़के आदि भी पूरी होंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्म निर्भरता पर उच्च प्राथमिकता वाले मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य के रूप में विशेष बल दिया गया है। किंतु हमें इस बारे में यह अवश्य ही स्पष्ट होना चाहिये कि आत्मनिर्भरता से हमारा क्या अभिप्राय है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह बहुत ही समृद्ध क्यों न हो, अपनी अर्थ व्यवस्था को अलग थलग नहीं कर सकता। सभी राष्ट्र एक दूसरे पर कुछ सीमा तक निर्भर होते हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवाओं और माल का भागीदार बनाना चाहिये और हमें निश्चय ही विदेशों से प्राप्त उत्तम औद्योगिक तकनीक और सामग्री को अपनाने में काफी समय लगेगा। किन्तु हम इन माल और सेवाओं के लिये अपने निर्यात के द्वारा अधिक अर्जन करके भुगतान करना चाहते हैं और हमें सदैव यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशों से आने वाली किसी भी वस्तु के साथ अन्य प्रभाव यहां न आ पायें। हमें उसके बारे में सदा सतर्क रहना होगा।

हमारे निर्यात में वृद्धि को मुख्यतः विकसित देशों की आर्थिक नीतियों पर और विशेषकर उनके द्वारा बाजार में पहुँचने के लिये उपयुक्त अवसरों की व्यवस्था करने पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः अन्य अल्प विकसीत देशों के साथ सहयोग करके हमें अपनी व्यापार संबंधी समस्याओं के लिये न्यायपूर्ण हल निकालने चाहिये। फिर भी अन्ततः निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये किये जाने वाले हमारे प्रयास तो हमारी अपनी अर्थ-व्यवस्था की क्षमता तथा लागत को कितना कम रख सकने की क्षमता के आधार पर ही निश्चित करने होंगे।

पूंजीपतियों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बारे में भी चर्चा हुई है। इस सम्बन्ध में हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। हम इस प्रकार की किसी भी नीति से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो कुछ किया गया है, वह यह है कि जब इसके लिये कोई उचित माध्यम या उद्यमी न रहे और जब वे औद्योगिक क्षेत्र में न आयें, तो हमने अपने आपको संतुष्ट करके, कि वे शीघ्रता से उत्पादन की क्षमता को पूरा कर सकेंगे, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिये ऐसा विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि अन्यथा इसका अर्थ यह होता कि हम इन क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पायेंगे।

युद्ध विराम के लिये हमने जो एकपक्षीय पेशकश की थी, जिसके बारे में यहां चर्चा चली, उसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ा स्वागत हुआ है। हमारे देश की जनता ने भी इस एकपक्षीय युद्ध-विराम की प्रशंसा की है। इस सामले में, जनसंघ ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अन्तर्राष्ट्रीयता और जीवन के अप्रौढ़ तथा पुराने दर्शन पर आधारित है। सोवियत संघ भारत का मित्र है और हम आपकी मित्रता का आदर करते हैं। यदि कोई इस बात की कल्पना करता हैं कि पाकिस्तान के साथ या अन्य किसी मामले में, अथवा विदेश या घरेलू मामले में हमारे समझौते में यदि हम किसी तीसरे पक्ष के आदेशों का पालन करते हैं, तो यह निरर्थक बात होगी।

पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिये भारत सरकार ने कई बार कहा है और इच्छा प्रकट की है और अब भी हम यही चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता के साथ हमारा कभी भी कोई झगड़ा नहीं है। उनकी केवल यही गलती है कि उन्हें भारत के बारे में जो कुछ भी कहा गया

है, वह झूठ है और उसे उन्होंने सही मान लिया है और इस लिये शायद उन्हें इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है कि हम अपने पड़ौसी देश के साथ मैत्रीभाव रखने के इच्छुक हैं । मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत सहयोग और अच्छे पड़ौसी की भावना से यदि काम करेंगे तो एक दूसरे को शक्ति मिलेगी ।

आज देश में आशा और विश्वास की भावना व्याप्त है । देश के अंदर यही भावना हैं कि समस्याएं कितनी भी गम्भीर क्यों न हों हम उनका समाधान कर लेंगे । हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो हमारी सफलताओं को कम करने में और हमारी जनता के विश्वास तथा इच्छाओं का दमन करने में हमारे शत्रु के रूप में कार्य करते हैं । हम संकट के समय से गुजर रहे हैं। इस समय हम न तो युद्ध की स्थिति में हैं और न हीं पूर्णतया शांति की स्थिति में हैं । इस स्थिति में यही उचित होगा कि हम शांत और एक होकर रहें ।

आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की समस्या को हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ सुलझाना है जिसे हमने गतवर्ष की चुनौतियों में दिखाया था । जैसा कि राष्ट्रपतिजी ने कहा है कि यह वर्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है । वास्तव में यह एक बड़ी चुनौती है और इसका हमें कई स्तरों पर तथा कई मोर्चों पर सामना करना है । अब हमें चुनावों के बारे में भूल जाना चाहिये और इस कार्य के लिये एक साथ बैठकर और अधिक कार्य करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 18 तथा 20 से 30 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1 to 18 & 20 to 30 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 13 मार्च, 1972 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्याधिक आभारी हैं ।"

सभा में मत-विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided.

पक्ष में 227; विपक्ष में 47 ।

Ayes 227 ; Noes 47.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.